

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3645

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण - सुरजबानसिंह वनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 169 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
16 / यूअ / 2025 दिनांक 27/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम भारणी पटवारी हल्का भारणी
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 302 में खातेदार सुरजबानसिंह
पुत्र नारायण जाति जाट के स्थान पर सुरजबानसिंह पुत्र नारायण जाति जाट का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का भारणी
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करवें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 06/10/2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3646-47

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

